



राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल की चरू आवासीय योजना में आम जनता को नगद-भुगतान पद्धति पर खुली बिक्री योजना 2011 (तृतीय चरण) के अन्तर्गत स्वतन्त्र आवास प्राप्त करने का

योजना प्रारम्भ की दिनांक 20.06.2011	स्थान कार्यालय परियोजना अभियंता, चरू	योजना की अन्तिम दिनांक 28.06.2011
-------------------------------------	---	-----------------------------------

नगद भुगतान पर खुली बिक्री योजना 2011 (तृतीय चरण) के अन्तर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध आवासो का विवरण

क्र. सं.	आय वर्ग	उपलब्ध आवास की कुल संख्या	आवास की मा/क्षे.	निर्मित प्लिंथ क्षेत्र एरिया	लागत	देय पंजीकरण राशि + सीडमनी एक किस्त राशि
1.	घरौंदा वर्ग	22	3.75×8.0	12.15 व.मी.	146900.00	12,000.00
2.	अल्प आय वर्ग	27	6.0×15.0	18.17 व.मी.	402600.00	25,000.00
3.	मध्यम आय वर्ग अ	04	8.0×15.0	71.63 व.मी.	944500.00	90,000.00
4.	मध्यम आय वर्ग अ	05	8.0×15.0	58.90 व.मी.	872900.00	90,000.00
	कुल	58				

क्र.सं.	आय वर्ग	आवंटन बाबत आवास नम्बर
1.	घरौंदा वर्ग	5/92, 93, 108, 122, 130, 140, 141, 143, 173, 170, 82, 84, 96, 97, 102, 109, 110, 123, 127, 133, 145, 153 कुल 22
2.	अल्प आय वर्ग	4/16, 35, 51, 54, 2/38, 3/63, 75, 80, 81, 95, 228, 4/12, 19, 22, 23, 26, 30, 36, 37, 42, 43, 55, 113, 120, 121, 122, 124, कुल 27
3.	मध्यम आय वर्ग अ	2/31, 42, 42बी, 42डी, कुल-04
4.	मध्यम आय वर्ग अ	1/70, 71, 73, 76, 77 कुल 5

नोट:-

- उपरोक्त लागत के अतिरिक्त कॉर्नर आवास के लिये निर्माण लागत पर मण्डल नियमानुसार अतिरिक्त राशि, ए. एससी एवं लीज चार्ज अलग से देय होगा। आवासों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है। इस हेतु कोई आक्षेप स्वीकार नहीं होगा।

शर्तें:-

- खुली बिक्री योजना के आवेदन फॉर्म दिनांक 20.06.2011 से कार्यालय प. अ (व.) चरू से 100/- रुपये भुगतान पर प्राप्त किये जा सकेंगे।
- आवेदको को आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र शपथ पत्र एवं अन्य पहचान पत्र के साथ सत्यापित प्रमाण पत्र की छाया प्रतियों के साथ पंजीकरण राशि ड्राफ्ट, पेऑर्डर राजस्थान आवासन मण्डल के पक्ष में देय चरू बनाकर परियोजना अभियंता वरिष्ठ चरू में जमा करवाना होगा।
- योजना में आवास आवंटन हेतु आवेदन फॉर्म प्रत्येक कार्य दिवस में अपराह्न 3:00 बजे तक स्वीकार कर उसी दिन सांय 4:00 बजे आवासों का आवंटन किया जायेगा।
- योजना में आवेदक एक आवेदन पत्र में दो आवासों का विकल्प प्राथमिकता क्रम में दे सकता है।
- योजना में एक आवास के लिये एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवासों का आवंटन आवेदकों की उपस्थिति में लॉटरी द्वारा किया जायेगा।
- आवंटन बाबत उपलब्ध आवासों की सूची प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे परियोजना अभियंता चरू कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर जायेगी।
- असफल आवेदक अपनी डीडी आगामी कार्य दिवस प्राप्त कर सकेंगे। एवं अन्य आवास हेतु विकल्प भी दे सकते हैं।
- आवास जैसा है जहां है की स्थिति में आवंटन किया जायेगा। इस बाबत आवेदक का कोई आक्षेप स्वीकार नहीं होगा।
- आवास के जारी आवंटन कब्जा पत्र में मांग राशि जारी तिथि तीन माह में आवेदक को जमा करानी होगी। नियत तिथि के पश्चात मण्डल नियमानुसार पंजीकरण निरस्त करते हुए समस्त जमा राशि पर 20 प्रतिशत कटौती कर राशि लौटायी जायेगी। एवं आवंटनी को जमा राशि का कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- आवास के जारी आवंटन/कब्जा पत्र में बताई आवास की लागत में मण्डल नियमानुसार लीज राशि ए. एससी एवं अन्य चार्ज को सम्मिलित करते हुए आवंटन/कब्जा पत्र जारी किया जायेगा।

सम्पर्क सूत्र :- परियोजना अभियंता व. चरू | आवासीय अभियंता झुंझुनूं
फोन:- 01562-253392 | फोन:- 01592-232319